फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

प्रकरण सं. 2/9/1/23 .... मुकाम .... ता. रजू. 13.01.2023

सियाराम .... बनाम .... कुलविंदरकौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवांही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
13.04.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थगन वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 255 वाके ग्राम छतरपुर तह0 गोविन्दगढ़ में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेंगा। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 19.05.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो पत्रावली दिनांक 19.05.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0	
19/5/23	P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26/6/23 को पेश हो (हस्ताक्षर) रीडर	
26/6/23 वास्ते बहस	पक्षकार उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते प्रति उ.प्र. । वकील अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। दिनांक 04.8.23 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
07.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य है। कार्य में व्यस्त को पेश हो। पत्रावली दिनांक 11.9.24 रीडर
11.9.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य है। कार्य में व्यस्त को पेश हो। पत्रावली दिनांक 23.10.24 रीडर
23-10-24	पत्रावली पेश। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। को पेश हो। पत्रावली दिनांक 4/12/24 रीडर
04.12.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र-212 RTA को NOT PRESS कर खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA वकील प्रार्थी के NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के संलग्न हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

NOT Press